नहीं कर पाएगा क्योंकि विक्रेता के हित वाद[illegible] हो चुके हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 1985 आरएलडब्ल्यू पेज 676, 2016 (2) आरएलडब्ल्यू (राज0) पेज 1037 उद्धरत की ।

अप्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया था । स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए बिना न्यायालय की अनुमति के आराजी का विक्रय किया गया है । प्रार्थी बोनाफाईड परचेजर नहीं है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 2004 आरबीजे पेज 299, 2012 डीएनजे (एससी) पेज 943, 2013 (2) आरआरटी पेज 1027 उद्धरत की ।

हमने प्रार्थना पत्र का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2016 को वादग्रस्त आराजी के बाबत् रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये हैं । इस स्थगन आदेश को किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है । इस स्थगन आदेश के प्रभावशील रहने के दौराने प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी बिना न्यायालय की स्वीकृति के क्रय की है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2004 आरबीजे पेज 299, 2012 डीएनजे (एससी) पेज 943 यहॉ चस्पा होते हैं । न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहने के दौरान न्यायालय की अनुमति के बिना कोई विक्रय किया जाता है तो विक्रय के आधार पर केता आवश्यक पक्षकार नहीं हैं । केता प्रार्थी इन रूलिंग्स की रोशनी में सद्भावी केता भी नहीं माना जा सकता ।

इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता है । पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15.01.2019 को पेश हो ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15/1/19 वकील उभयपक्ष उप0 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से तलबी मिसल प्राप्त हुई है। माननीय रा0म0 अजमेर से उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 18/30-28/1/19 नियत की गई है। अत उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील [illegible] पुन शामिल [illegible] से पा0 हो।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा